



## Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/२०७८

दिनांक: ०८/११/२०१९

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव,  
समस्त सम्बद्ध राजकीय अनुदानित, चिकित्सकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थान,  
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ।

**विषय— दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के २०१९-२० के अंतर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में सूचनार्थ यह प्रेषणीय है कि शासनादेश संख्या—  
२२७/२०१९/४४५४/२६-३-२०१९-४(३५८)/०७टी.सी. III दिनांक १८.१०.२०१९ के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बन्धित  
महाविद्यालयों के द्वारा scholarship Portal पर भरे गये निम्न सूचनायें उपलब्ध कराने का कष्ट करें जो निम्न है:-

१. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का नॉन रिफण्डेबल राशि एवं ट्यूशन फीस को प्रमाणित करते हुए प्रेषित करने का कष्ट करें।
२. महाविद्यालय के प्रोफाइल की फोटो कॉपी जो छात्रवृत्ति के पोर्टल पर भरा गया है, जिसमें प्राचार्य/प्राचार्या एवं नोडल अधिकारी का नाम अंकित है कि सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय में प्राचार्य/प्राचार्या के अनुमोदन की छायाप्रति (राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों को छोड़कर) यदि अपलोड है तो प्राचार्य/प्राचार्या का छः माह का वेतन स्टेटमेन्ट संलग्न करते हुए प्रस्तुत करें।
३. NAAC एवं AISHE का प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
४. Scholarship Portal पर अपलोड किये गये डिजिटल सिग्नेचर की छायाप्रति।
५. स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में संचालित MBBS, BDS, MDS, BAMS and Paramedical पाठ्यक्रम में महाविद्यालय द्वारा भरे गये शुल्क, जो राज्यसरकार द्वारा अनुमोदित हो कि छायाप्रति।

अतः आप उपरोक्त सूचनायें सत्यापित कर दिनांक १३.११.२०१९ से पूर्व डा.एस.पी. सिंह, नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से अग्रसारित करा लें, अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

धन्यवाद।

प्रतिलिपि:

१. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
२. प्रभारी वेबसाईट
३. उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

  
कुलसचिव

  
कुलसचिव